



2026:AHC:176249

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

भा.ना.सु.सं. की धारा 482 के अंतर्गत आपराधिक प्रकीर्ण अग्रिम जमानत आवेदन संख्या -

8589 सन् 2026

धर्मेन्द्र उर्फ धर्मेन्द्र कुमार

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य

.....विपक्षीगण

आवेदक की ओर से अधिवक्ता

: भास्कर सिंह, फूल सिंह यादव

विपक्षी की ओर से अधिवक्ता

: शासकीय अधिवक्ता (जी.ए.)

न्यायालय संख्या - 72

माननीय न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया एवं अभिलेख का अवलोकन किया गया।
2. प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र आवेदक की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 64 सन् 2018, धारा 363, 366, 376-डी भा.द.सं., थाना- बहिलपुरवा, जनपद- चित्रकूट के अंतर्गत उसे अग्रिम जमानत प्रदान किए जाने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का निवेदन है कि आवेदक पूर्णतः निर्दोष है तथा उसे वर्तमान मामले में असत्य रूप से फंसाया गया है। कथित अपराध से उसका कोई संबंध नहीं है, इसके बावजूद पुलिस आवेदक को गिरफ्तार करने का प्रयास कर रही है। आवेदक को उस प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित नहीं किया गया था, जो सह-अभियुक्त दादू राम यादव के विरुद्ध दिनांक 26.11.2018 की कथित घटना के संबंध में दिनांक 01.12.2018 को दर्ज कराई गई थी। पीड़िता का कथन दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अंतर्गत दर्ज किया गया था, जिसमें उसने आवेदक का नाम नहीं लिया, अपितु यह कथन किया कि वह अपनी माता द्वारा डांटे जाने से क्रोधित होकर अपना घर छोड़कर चली गई थी। जब दिनांक 18.01.2019 को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अंतर्गत पीड़िता का कथन दर्ज किया

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



गया, तो उसने अभिकथित किया कि उसके साथ आवेदक तथा सह-अभियुक्त धर्मेन्द्र एवं अंकुर द्वारा बलात्संग किया गया। विवेचना अधिकारी ने कई स्वतंत्र साक्षियों के कथन दर्ज किए, जिन्होंने कहा कि आवेदक को इस मामले में असत्य रूप से फंसाया गया है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बांदा द्वारा पीड़िता की आयु लगभग 18 वर्ष पाई गई तथा उन्होंने दिनांक 17.01.2019 की अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। पीड़िता के शरीर पर कोई दृश्य चोट नहीं पाई गई। सह-अभियुक्त के विरुद्ध आरोप-पत्र दिनांक 27.11.2019 को प्रस्तुत किया गया। वर्तमान आवेदक के विरुद्ध कोई आरोप-पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। विद्वान मजिस्ट्रेट ने अपराध का संज्ञान लिया तथा तत्पश्चात मामला सत्र न्यायालय को सुपुर्द किया गया, जहां सह-अभियुक्त के विरुद्ध आरोप विरचित किए गए। उन्होंने स्वयं को दोषी न मानते हुए विचारण किए जाने का दावा किया। आगे यह निवेदन किया गया है कि आरोप विरचित किए जाने के पश्चात, अभियोजन ने साक्ष्य प्रस्तुत किए तथा विचारण के दौरान पी.डब्ल्यू.-1/सूचनाकर्ता, पी.डब्ल्यू.-2/पीड़िता के कथन दर्ज किए गए तथा तत्पश्चात अभियोजन द्वारा आवेदक को आपराधिक विचारण का सामना करने हेतु समन किए जाने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319/बी.एन.एस.एस. की धारा 358 के अंतर्गत प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया गया। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319/बी.एन.एस.एस. की धारा 358 के अंतर्गत प्रस्तुत उक्त प्रार्थना-पत्र को विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 23.05.2026 के आदेश द्वारा स्वीकार किया गया। दिनांक 23.05.2026 का समन आदेश अंतिम रूप धारण कर चुका है।

4. आगे यह निवेदन किया गया है कि आवेदक को विवेचना अधिकारी द्वारा दोषमुक्त किया गया था तथा सम्यक विवेचना के पश्चात, प्रथम-दृष्ट्या, कथित अपराध में उसकी संलिप्तता नहीं पाई गई। आवेदक को वर्तमान मामले में अभियोजन की इच्छानुसार समन किया गया है। आवेदक आपराधिक विचारण का सामना करने हेतु तत्पर है। इस मामले में विवेचना पहले ही पूर्ण की जा चुकी है तथा कथित अपराध में आवेदक की कोई संलिप्तता नहीं पाई गई। आवेदक की अभिरक्षात्मक पूछताछ की कोई आवश्यकता नहीं है। आवेदक के नाम कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता आगे यह निवेदन करते हैं कि आवेदक विचारण के दौरान सहयोग करने तथा संबंधित न्यायालय द्वारा जब भी आवश्यक हो, उपस्थित होने का वचन देता है। यह भी कथन किया गया है कि यदि आवेदक को अग्रिम जमानत प्रदान की जाती है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा,

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



विचारण न्यायालय के साथ सहयोग करेगा, तथा न्यायालय द्वारा अधिरोपित की जाने वाली समस्त शर्तों का पालन करेगा।

5. दूसरी ओर, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने अग्रिम जमानत हेतु प्रार्थना-पत्र का विरोध किया है, तथापि तथ्यात्मक पहलू को विवादित नहीं करते हैं। विवेचना अधिकारी को आवेदक द्वारा धोखा दिया गया, अतः, यद्यपि उसे प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित किया गया था, उसके विरुद्ध कोई आरोप-पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया।
6. मैंने दोनों पक्षों के तर्कों को सुना है तथा अभिलेख का अवलोकन किया है।
7. आवेदक को प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित नहीं किया गया था। विवेचना के दौरान, जब पीड़िता को उसका कथन दर्ज कराने हेतु विद्वान मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया गया, तब उसका नाम लिया गया, किंतु उसके विरुद्ध कोई आरोप-पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। विवेचना अधिकारी द्वारा कथित अपराध में आवेदक की संलिप्तता नहीं पाई गई। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319/बी.एन.एस.एस. की धारा 358 के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग करते हुए विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा उसे आपराधिक विचारण का सामना करने हेतु समन किया गया है तथा आवेदक की अभिरक्षात्मक पूछताछ की कोई आवश्यकता नहीं है। पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा किए गए निवेदनों पर विचार करते हुए, यह न्यायालय इस मत का है कि आवेदक ने अग्रिम जमानत प्रदान किए जाने हेतु मामला बनाया है।
8. **अमन प्रीत सिंह बनाम सी.बी.आई., (2022) 13 एस.सी.सी. 764** में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि:

11. उपर्युक्त के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि यह मजिस्ट्रेट द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 170 के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग करते समय अनुसरण किए जाने वाला मार्गदर्शक सिद्धांत निर्धारित किया गया है। संज्ञान लेने अथवा अभियुक्त का विचारण करने हेतु सशक्त मजिस्ट्रेट अथवा न्यायालय को आरोप-पत्र को अविलंब स्वीकार करना होगा तथा धारा 173 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आगे बढ़ना होगा। यह सम्यक रूप से प्रेक्षित किया गया है कि ऐसे मामले में मजिस्ट्रेट अथवा न्यायालय को

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



अनिवार्य रूप से समन की प्रक्रिया जारी करनी होगी, न कि गिरफ्तारी वारंट। यदि वह गिरफ्तारी वारंट जारी करने के विवेकाधिकार का प्रयोग करना चाहता है, तो उसे धारा 87 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत परिकल्पित कारणों को अभिलिखित करना होगा कि अभियुक्त या तो फरार हो रहा है अथवा समन का पालन नहीं करेगा अथवा उसने समन की सम्यक तामील के प्रमाण के बावजूद उपस्थित होने से इनकार किया है। वस्तुतः, उच्च न्यायालय द्वारा उपर्युक्त उप-अनुच्छेद (iii) में की गई टिप्पणियां सावधानी की प्रकृति की हैं।

12. जहां तक वर्तमान मामले तथा धारा 170 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत सामान्य सिद्धांतों का संबंध है, सर्वाधिक समुचित टिप्पणियां उच्च न्यायालय के निर्णय के उप-अनुच्छेद (v) में उस अभियुक्त के संदर्भ में हैं, जो एक अजमानतीय अपराध में है तथा जिसकी अभिरक्षा विवेचना की अवधि के दौरान आवश्यक नहीं थी। ऐसी स्थिति में, यह समुचित है कि अभियुक्त को जमानत पर मुक्त किया जाए, क्योंकि उसकी विवेचना के दौरान गिरफ्तार न किए जाने अथवा अभिरक्षा में प्रस्तुत न किए जाने की परिस्थितियां स्वयं ही उसे जमानत पर मुक्त किए जाने का हकदार बनाने हेतु पर्याप्त हैं। यह तर्काधार संक्षेप में निर्धारित किया गया है कि यदि किसी व्यक्ति को कई वर्षों तक मुक्त एवं स्वतंत्र रखा गया है तथा विवेचना के दौरान उसे गिरफ्तार भी नहीं किया गया है, तो मात्र आरोप-पत्र दाखिल किए जाने के कारण अचानक उसकी गिरफ्तारी का निर्देश देना तथा उसे कारागार में निरुद्ध करना, जमानत प्रदान किए जाने के शासी सिद्धांतों के प्रतिकूल होगा। हम इस बात से पूर्णतः सहमत हैं।

9. अग्रिम जमानत के संबंध में विधि के सुस्थापित सिद्धांत, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण के निवेदन, अभिकथन की प्रकृति, आवेदक की भूमिका तथा मामले की समस्त संलग्न तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचार करते हुए, गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, तथा आवेदक का मामला उपर्युक्त निर्णयों द्वारा पूर्णतः आच्छादित होने के कारण, अग्रिम जमानत हेतु मामला बनता है।

10. तदनुसार, अग्रिम जमानत प्रार्थना-पत्र निम्नलिखित निदेशों के साथ स्वीकार किया जाता है:-

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



- (i) आवेदक-धर्मेन्द्र उर्फ धर्मेन्द्र कुमार की, उपर्युक्त मामले में संलिप्त होने के कारण, गिरफ्तारी/उपस्थिति की स्थिति में, उसे सक्षम न्यायालय के समक्ष उसकी संतुष्टि के अनुरूप रु. 50,000/- के व्यक्तिगत बंधपत्र तथा समान धनराशि की दो जमानतों को प्रस्तुत करने पर विचारण की समाप्ति तक अग्रिम जमानत पर मुक्त किया जाएगा;
- (ii) आवेदक विचारण के दौरान सहयोग करेगा तथा निष्पक्ष विचारण के प्रयोजनार्थ जब भी आवश्यक हो, संबंधित न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा।
- (iii) आवेदक प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष ऐसे तथ्यों का प्रकटीकरण करने से विरत करने हेतु कोई प्रलोभन, धमकी अथवा वचन नहीं देगा; तथा
- (iv) आवेदक न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगा।
11. किसी भी शर्त के उल्लंघन अथवा दुरुपयोग की दशा में, लोक अभियोजक/विवेचना अधिकारी/प्रथम सूचनाकर्ता-परिवादी, आवेदक को प्रदान की गई अग्रिम जमानत के निरस्तीकरण हेतु संबंधित न्यायालय के समक्ष समुचित प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र होगा।

(विवेक कुमार सिंह, न्यायमूर्ति)

20 अगस्त, 2026

ए.पी. पांडेय